



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272811
CG-DL-E-22052026-272811

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2026/ज्येष्ठ 1, 1948

No. 354]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2026

सा.का.नि. 389(अ).— महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग), भारत सरकार की दिनांक 06 जनवरी, 2025 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 15 (अ.) के आंशिक आशोधन में, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री मुकेश मंगल, अपर सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक चैत्रे पत्तन प्राधिकरण बोर्ड के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम (भाग-2)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd May, 2026

G.S.R. 389(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways, (PHRD Division) G. S. R. No. 15 (E) dated 06th January, 2025, the Central Government hereby appoints Shri Mukesh Mangal, Additional Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, as an ex-officio Member of the Board of Chennai Port Authority with immediate effect and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour (Part-2)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2026

सा.का.नि. 390(अ).— महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग), भारत सरकार की दिनांक 13 मई, 2025 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 307 (अ.) के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री वेंकटेशपति एस., संयुक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्थान पर सुश्री प्रीति नाथ, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक कोचीन पत्तन प्राधिकरण बोर्ड के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम (भाग-2)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2026

G.S.R. 390(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways, (PHRD Division) G. S. R. No. 307 (E) dated 13th May, 2025, the Central Government hereby appoints Smt. Preeti Nath, Senior Economic Adviser, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, in place of Shri Venkatesapathy S., Joint Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, as an ex-officio Member of the Board of Cochin Port Authority with immediate effect and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour (Part-2)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2026

सा.का.नि. 391(अ).— महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग), भारत सरकार की दिनांक 06 जनवरी, 2024 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 482 (अ.) के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री अनिमेष भारती, पूर्व वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्थान पर श्री वेंकटेशपति एस., संयुक्त सचिव,

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण बोर्ड के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम (भाग-2)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2026

G.S.R. 391(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways, (PHRD Division) G. S. R. No. 482 (E) dated 06th January, 2024, the Central Government hereby appoints Shri Venkatesapathy S., Joint Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, in place of Shri Animesh Bharti, former Senior Economic Adviser, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, as an ex-officio Member of the Board of Deendayal Port Authority with immediate effect and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour (Part-2)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2026

सा.का.नि. 392(अ).— महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग), भारत सरकार की दिनांक 13 मई, 2025 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 308 (अ.) के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री प्रदीप कुमार राय, पूर्व संयुक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्थान पर श्री प्रवीण पी. नायर, संयुक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक मुरगांव पत्तन प्राधिकरण बोर्ड के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम (भाग-2)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2026

G.S.R. 392(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways, (PHRD Division) G. S. R. No. 308 (E) dated 13th May, 2025, the Central Government hereby appoints Shri Praveen P. Nair, Joint Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, in place of Shri Pradeep Kumar Roy, former Joint Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, as an ex-officio Member of the Board of Mormugao Port Authority with immediate effect and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour (Part-2)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2026

सा.का.नि. 393(अ).— महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग), भारत सरकार की दिनांक 13 मई, 2025 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 306 (अ.) के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री राजेश कुमार सिन्हा, पूर्व विशेष सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्थान पर श्री वेंकटेशपति एस., संयुक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक मुंबई पत्तन प्राधिकरण बोर्ड के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम (भाग-2)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2026

G.S.R. 393(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways, (PHRD Division) G. S. R. No. 306 (E) dated 13th May, 2025, the Central Government hereby appoints Shri Venkatesapathy S., Joint Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, in place of Shri Rajesh Kumar Sinha, former Special Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, as an ex-officio Member of the Board of Mumbai Port Authority with immediate effect and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour (Part-2)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2026

सा.का.नि. 394(अ).— महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग), भारत सरकार की दिनांक 06 जनवरी, 2025 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 14 (अ.) के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री आर. लक्ष्मणन, पूर्व संयुक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्थान पर श्री पुनीत अग्रवाल, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण बोर्ड के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम (भाग-2)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2026

G.S.R. 394(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping

& Waterways, (PHRD Division) G. S. R. No. 14 (E) dated 06th January, 2025, the Central Government hereby appoints Shri Puneet Agarwal, Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, in place of Shri R. Lakshmanan, former Joint Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, as an ex-officio Member of the Board of Jawaharlal Nehru Port Authority with immediate effect and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour (Part-2)]
SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2026

सा.का.नि. 395(अ).— महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग), भारत सरकार की दिनांक 14 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 186 (अ.) के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री मंदीप सिंह रंधावा, पूर्व निदेशक, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्थान पर श्री प्रवीण पी. नायर, संयुक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम (भाग-2)]
संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2026

G.S.R. 395(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways, (PHRD Division) G. S. R. No. 186 (E) dated 14th March, 2023 the Central Government hereby appoints Shri Praveen P. Nair, Joint Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, in place of Shri Mandeep Singh Randhawa, former Director, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, as an ex-officio Member of the Board of Visakhapatnam Port Authority with immediate effect and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour (Part-2)]
SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.